



भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/जीए&एचआर/जीडीएल/विविध/170/09/2023
Ref No: IRDAI/GA&HR/GDL/MISC/170/09/2023

14 सितंबर, 2023
14th Sep, 2023

कार्यालय आदेश
Office Order

संदर्भ : साइबर सुरक्षा संबंधी अंतर-अनुशासन स्थायी समिति का गठन
Ref: Constitution of Inter-Disciplinary Standing Committee on Cyber Security

आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश दिनांक 24 अप्रैल, 2023 के प्रकाशन के उपरांत तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ, साइबर सुरक्षा संबंधी एक स्थायी समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो वर्तमान अथवा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में अंतर्निहित आशंकाओं की नियमित रूप से समीक्षा करेगी तथा साइबर सुरक्षा की संस्थिति और बीमा उद्योग की आघात-सहनीयता को आगे और मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा ढाँचे में उपयुक्त परिवर्तन सुझायेगी।

Subsequent to publication of IRDAI Information and Cyber Security Guidelines dated 24th Apr, 2023 and with the approval of the Competent Authority, it has been decided to constitute a Standing Committee on Cyber Security which will regularly review the threats inherent in the existing or emerging technologies and suggest appropriate changes to IRDAI Information and Cyber Security Framework to further strengthen cyber-security posture and resilience of Insurance Industry.

इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश, 2023 के कार्यान्वयन में विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर भी वर्तमान ढाँचे में उपयुक्त परिवर्तन सुझाने के लिए उक्त समिति के द्वारा विचार किया जाएगा।

Further, the suggestions received from the Regulated Entities in implementation of IRDAI Information and Cyber Security guidelines, 2023 will also be considered by the committee for suggesting appropriate changes in the current framework.

उपर्युक्त समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ की गई है:

The above Committee is constituted with following members:

1. श्री पी. एस. जगन्नाथम, मुख्य महाप्रबंधक, सा.प्र.&मा.सं. – अध्यक्ष
Shri P.S. Jagannatham, CGM, GA&HR - Chairperson
2. प्रो. संदीप के शुक्ला, आईआईटी कानपुर – सदस्य
Prof. Sandeep k Shukla, IIT Kanpur - Member
3. श्री आशुतोष बहुगुणा, वैज्ञानिक - ई, सीईआरटी - इन - सदस्य
Shri Ashutosh Bahuguna, Scientist - E, CERT - In - Member
4. श्री आर शेषाद्री, मुख्य प्रबंधक, सीआईएसओ, एनआईएसीएल – सदस्य
Shri R Sheshadri, Chief Manager, CISO, NIACL - Member
5. श्री मुरली नांबियार, सीआईएसओ, भारतीय स्टेट बैंक – सदस्य
Shri. Murli Nambiar, CISO, State Bank of India – Member

6. श्रीमती श्रद्धा व्यास, सीआईएसओ, म्यूनिख री-इंडिया ब्रांच – सदस्य
Smt. Shradha Vyas, CISO, Munich Re - India Branch - Member
7. श्री स्टीव डिसूजा, वीपी&सीआईएसओ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस - सदस्य
Shri Steve D'Souza, VP&CISO, ICICI Lombard General Insurance - Member
8. श्री कल्पेश भरत दोशी, सीआईएसओ, एचडीएफसी लाइफ इश्योरेंस - सदस्य
Shri Kalpesh Bharat Doshi, CISO, HDFC Life Insurance - Member
9. श्री सुमित बोहरा, अध्यक्ष, इश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया - सदस्य
Shri Sumit Bohra, President, Insurance Brokers Association of India - Member
10. श्री दीपक गायकवाड़, जीएम, सीआईएसओ - संयोजक
Shri Deepak Gaikwad, GM, CISO - Convener

यदि अपेक्षित हो तो उक्त समिति विशिष्ट विषयों / सुझावों की जाँच करने के लिए बाह्य सदस्य / सदस्यों को आमंत्रित कर सकती है।

The committee may invite external member/s, if required, to examine specific issues / suggestions.

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

जगन्नाथम

(पी.एस. जगन्नाथम / P.S. Jagannatham)
मुख्य महाप्रबंधक (सा. प्र. & मा. सं.) / CGM (GA & HR)